



जमाबन्दी, इन्तकाल मौखिक पारिवारिक समझौता / बंटवारा नामा
अन्य साक्ष्य हर किस्म।

डिक्री

दिनांक :- 24/04/2026

वादी की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण 1 ता 60 की ओर से श्री नवीन जैन व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनाम एवं सहमती होने पर किसी प्रकार को विरोध नहीं होने से वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91, 53, 92-ए एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

1. वादी सं. 1 साहबराम , 2 रामप्रताप व प्रतिवादी सं. 12 जगदीश व 17 रूमन कुमार को प्राप्त भूमि :- तहसील सादुलशहर के चक 8 एसपीएम के खाता सं. 31/31 के प.न.8/187 मु.नं. 3 किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 की 5.060 हैक्. व चक 12 एलएलजी के खाता सं. 14/17 के प.न.6/181 मु.नं. 45 किला नं. 10/0.228, 11/0.240, 20/0.240, 21/0.240 की 0.948 हैक्. व प.न. 5/181 मु.नं. 46 किला नं. 1, 10 ता 25 की 4.301 हैक्. इस प्रकार कुल 10.309 हैक्. भूमि में वादी सं. 1 साहबराम का 1/2 हिस्सा व वादी सं. 2 रामप्रताप का 1/2 हिस्सा व तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यू-बी के खाता सं. 195/186 के प.नं. 21/287 किला नं. 1 ता 4, प.नं. 22/288 किला नं. 4 ता 10, 13 ता 16 दोनो पत्थरो की 3.795 हैक्, चक 2 एलकेएस के खाता सं. 88/65 के प.नं. 30/276 किला नं. 2/1 ता 9, 12 ता 19 की 3.720 हैक्. व चक 1 एलकेएस के खाता सं. 80/88 के प.नं. 31/276 किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 20, 21/1 की 1.784 हैक्. भूमि ;तीनो चको की भूमि में वादी सं.2 रामप्रताप का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी स.12 जगदीश का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 रूमन कुमार का 1/4 हिस्साद्ध कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी सं. 22 विजयसिंह व प्रतिवादी स.23 सुभाष एवं प्रतिवादी स. 20 कमला देवी व 21 जगदीशचन्द्र को प्राप्त भूमि:- तहसील सादुलशहर के चक 12 एलएलजी के खाता सं. 14/17 के प.न.5/180 मु.नं. 43 किला नं. 23 व 24 की 0.506 हैक्., प.न.5/181 मु.नं. 46 किला नं. 2 ता 9 की 2.024 हैक्., प.न.6/181 मु.नं. 45 किला नं. 10/0.025, 0.013 पूर्वी, 0.012 उत्तरी दिशा, 11/0.013 पूर्वी दिशा, 20/0.013;पूर्वी दिशा, 21/0.013 पूर्वी दिशा, की 0.064 हैक्. कुल 2.594 हैक्. भूमि में से ब.हि.ब. प्रतिवादी स.20 ता 23 बहिस्सा बराबर, तहसील पीलीबंगा के चक 8 एलजीडब्ल्यू-बी के खाता सं. 195/186 के प.नं. 21/287 किला नं. 5 ता 25 की 5.313 हैक्. में से प्रतिवादी स. 21 जगदीशचन्द्र का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी स. 22 विजय सिंह का 11/21 हिस्सा व प्रतिवादी स. 23 सुभाष का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी सं.1 दलीप कुमार को प्राप्त भूमि:- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 11 किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8 की 1.518 हैक्., मु.नं. 23 किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1/.160, 3/2/.017 की 0.683 हैक्., मु.नं. 31 किला नं. 7 में 0.127 हैक्. व



इसी चक 8 एमएल के खाता सं. 39/12 के मु.नं. 22 किला नं. 6/1 ता 16/1, 21/1/0.202, 21/2/0.026, 22 में 0.228 है. 23 में 0.114 है. कुल 3.109 है. व मु.नं. 23 किला नं. 8 में 0.177 है. 9 ता 12, 13/177, 18/177, 19, 20, 22/0.165, 23/0.160 की 2.374 है. व मु.नं. 35 किला नं. 21 की 0.228 है. व चक 9 एमएल के खाता सं. 27/20 के मु.नं. 14 किला नं. 5/126, 6/1, 6/2, 7/127 की कुल 0.506 है. इस प्रकार कुल 8.536 है. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी सं. 2 व 3 दयाराम-नरेन्द्र को प्राप्त भूमि भूमि- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 12 किला नं. 1/1 ता 5/2 की 1.265 है. मु.नं. 11 किला नं. 1/1, 1/2 की 0.253 है. मु.नं. 23 किला नं. 4/1/0.022, 4/2/0.003, 5/1, 5/2 कुल 0.278 है. व इसी चक 8 एमएल के खाता सं. 39/12 के मु.नं. 23 किला नं. 6, 7/0.025, 14/0.017, 15/0.158 की 0.453 है. इस प्रकार कुल तादादी 2.249 है. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी सं. 4 बन्नीप्रसाद को प्राप्त भूमि- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 12 किला नं. 6 ता 10 की 1.265 है. मु.नं. 11 किला नं. 10 की 0.253 है. चक 8 एमएल के खाता सं. 39/12 के मु.नं. 23 किला नं. 14/0.008, 15/0.95, 16/0.253, 17/0.025, 24/0.022, 25/0.228 की 0.631 है. कुल 2.149 है. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी सं. 5 पृथ्वीराज को प्राप्त भूमि- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 12 किला नं. 11 ता 15 की 1.265 है. मु.नं. 11 किला नं. 11 की 0.253 है. चक 8 एमएल के खाता सं. 39/12 के मु.नं. 22 किला नं. 23/0.114, 24/0.228, 25/1, 25/2 की 0.569 है. इस प्रकार कुल तादादी 2.087 है. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. प्रतिवादी सं. 6 कृष्णराम /द्वितीय पक्ष के हिस्सा में आई भूमि- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 12 किला नं. 16 ता 20 की 1.265 है. मु.नं. 31 किला नं. 2 ता 4, 5/0.126 की 0.885 है. इस प्रकार कुल तादादी 2.150 है. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. प्रतिवादी सं. 14 ता 16 शिवनारायण- परमानन्द-कमला देवी को प्राप्त भूमि- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 11 किला नं. 2/1, 2/2, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/2 की 1.518 है. चक 8 एमएल के खाता सं. 39/12 के मु.नं. 22 किला नं. 16/1, 16/2, 17/0.127 की 0.380 है. व मु.नं. 23 किला नं. 21/0.228, 22/0.063 की 0.291 है. इस प्रकार कुल 2.189 है. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. प्रतिवादी सं. 2 व 3 दयाराम-नरेन्द्र, प्रतिवादी सं. 5 पृथ्वीराज, प्रतिवादी सं. 6 कृष्णराम, प्रतिवादी सं. 14 ता 16 शिवनारायण- परमानन्द-कमला देवी, प्रतिवादी सं. 60 सुमन को प्राप्त भूमि- तहसील श्रीगंगानगर के चक 9 एमएल के खाता सं. 27/20 मु.नं. 14 किला नं. 13/0.127, 16, 17, 18/1/0.127, 18/2/0.126, 19/0.126 की 1.012 है. भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 व 3 दयाराम-नरेन्द्र का 0.199 है. व.हि.व. प्रतिवादी सं. 5 पृथ्वीराज का 0.199 है. प्रतिवादी सं. 6 कृष्णराम का 0.199 है. प्रतिवादी सं. 14 ता 16 शिवनारायण- परमानन्द-कमला देवी का 0.199 है.

हैक. ब.हि.व. , प्रतिवादी स.60 सुमन का 0.217 हैक. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।

10. प्रतिवादी सं. 18 महावीर प्रसाद, प्रतिवादी स.44 गोमती, 45 चन्द्रभान व प्रतिवादी स. 59 विक्रम को प्राप्त भूमि—तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं. 23 किला नं. 3/1/.068, 3/2/.008, 4/1/.206, 4/2/0.022 की 0.304 हैक. मु.नं. 31 किला नं. 1, 8 ता 12, 13/.126, 19/1/.127, 20, 21/.126 की 2.150 हैक., मु.नं. 11 किला नं. 16/1 ता 25/2 की कुल 2.530 हैक., मु.नं. 12 किला नं. 21 ता 25 की 1.265 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 6.249 हैक., तहसील श्रीगंगानगर के चक 9 एमएल के खाता सं. 27/20 के मु.नं. 14 के किला नं. 14/1/0.127, 14/2/.126, 15 की 0.506 हैक. कृषि भूमि में प्रतिवादी स.18 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स.44 व 45 का 1/3 हिस्सा ब.हि.व. एवं प्रतिवादी स.59 का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।

11. प्रतिवादी सं. 18 महावीर प्रसाद, प्रतिवादी स.44 गोमती, 45 चन्द्रभान व प्रतिवादी स.19 काशीराम के हिस्सा में आई भूमि :- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 39/12 के मु.नं. 23 किला नं. 7, 14, 17 प्रत्येक में 0.228 हैक., 24 में 0.206 हैक., 8, 13, 18 प्रत्येक में 0.076 हैक., 23/0.068 कुल 1.186 हैक. व मु.नं. 1 के किला नं. 1, 10 प्रत्येक में 0.228 हैक., 2 ता 9 कुल 2.480 हैक., मु.नं. 22 किला नं. 1/1, 1/2/0.51, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 17/0.126, 18, 19, 20/1, 20/2 की 2.150 हैक. इस प्रकार कुल 5.816 हैक. भूमि प्रतिवादी स.18 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स.44, 45 का 1/3 हिस्सा ब.हि.व. एवं प्रतिवादी स.19 का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।

12. प्रतिवादी सं. 61 इवान कासनिया को प्राप्त भूमि:- तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 एमएल के खाता सं. 23/17 के मु.नं.1 के किला 11 ता 15 से 1.2400 हैक. कृषि भूमि का खातेदार खाता काश्तकार घोषित किया जाता है।

13. वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 7 ता 11, 13, 24 ता 29, 34 ता 43, 46 ता 58 के नाम कोई अनुतोष साबित नहीं होने के कारण नाम कलमजन किये जाते है यानि उपरोक्त सभी चकों के खातों में घोषित खातेदारों के अलावा अन्य प्रतिवादीगण के नाम कलमजन के आदेश पारित किये जाते है।

सा.पुल.अ.ए. व श्रीगंगानगर

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 24/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलेक्टर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा